संख्या- 10 /2016 /975/62-1-2016-16जीडब्लू/2015

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0।
लखनऊ।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 29 अगस्त , 2016

विषय– भूगर्भ जल विभाग में सीनियर हाइड्रोजियोलाजिस्ट के 02 नि:संवर्गीय अस्थाई पदों का सृजन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय-ज्ञाप संख्या-22/2015/912/62-1-2015-16जीडब्लू/2015, दिनांक 06-11-2015 के क्रम एवं आपके पत्र संख्या-56जी/भू0ज0वि0/ई-1/जी (सेवा विस्तार), दिनांक 13-04-2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने निदेश हुआ है कि सीनियर हाइड्रोजियोलाजिस्ट के पद के समस्त कार्यों के साथ-साथ मा0 मुख्य मंत्री जी की महत्वाकांक्षी "मुख्य मंत्री जल बचाओ अभियान योजना" का क्रियान्वयन किये जाने हेतु सीनियर हाइड्रोजियोलाजिस्ट के 02 नि:संवर्गीय अस्थाई पद बैण्ड-3 रू0 15600-39100, ग्रेड वेतन रू0 6600/- में आदेश निर्गत होने की तिथि से 06 माह की अवधि हेतु सृजित किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीक़ति प्रदान करते हैं।

2- उक्त संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष के अनुंदान संख्या-13 के अन्तर्गत ''लेखाशीर्षक-2702-लघु सिंचाई-आयोजनेत्तर-02-भूजल-005-अन्वेषण-03-भूगर्भ जल सर्वेक्षण का विकास, आंकलन एवं सुदृढीकरण योजना'' के अधीन सुसंगत इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2 के अशासकीय पत्र संख्या- ई-2-693/दस-16, दिनांक 09-8-2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(रेणुका कुमार)
प्रमुख सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 10 /2016 /975(1)/62-1-2016, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1- महालेखाकार,6 उ0प्र0 इलाहाबाद ।

2- वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-2 एवं वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 उ0प्र0शासन।

3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ओम नारायण अहिरवार)
अनु सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।